

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषि विषयन अनुभाग-1
संख्या-४५१ /XIII-I/2010-5(13)2010
देहरादून: दिनांक २५ अगस्त, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को
कृषि संगणना के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य का संगणना
आयुक्त नामित किया जाता है। इस कार्य के लिए मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून
को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।



(सुरेश कुमार)

अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
को उनके अ०शा०पञ्च सं०- 11011-2/2009-ACU दिनांक 22 जून, 2010 के क्रम में
सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर मुख्य सचिव/मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- निदेशक, एन०आई०सी०।
- 8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव